संख्या-194 /एक-10-2021-33(221)/2011 टी०सी०-2

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, आजमगढ़, झांसी एवं रामपुर ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2021

विषयः-नोवल करोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु क्रय किए गए अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोवल कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु क्रय किये गये अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट के बिलों के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रू० 1,84,39,000/-(रूपये एक करोड़ चौरासी लाख उनतालिस हजार मात्र) की धनराशि संबंधित जनपद के** जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	**जनपद का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**
1	मैनपुरी	19.47
2	मुजफ्फरनगर	08.06
3	बलरामपुर	37.62
4	पीलीभीत	12.42
5	झांसी	82.90
6	आजमगढ़	14.84
7	रामपुर	9.08
योग		**184.39**

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in/पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/7-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान **वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं० 51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42-अन्य व्यय** के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

<u>संख्या- 194(1) /एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-2, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपित- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।

5- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।